प्रारूप–ड
(नियम 7 (2) देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

डॉ. दर्शना जैन
पति– डॉ. हरख जेन
ग्राम– **नकटी** पटवारी हल्का नंबर–77
तहसील–**रायपुर** थाना–
जिला –**रायपुर (छ0ग0)**

प्र.क्रं. 202505111000193
दिनांक 20/05/2025

विषय :– **प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।**

–000–

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 17.12.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 09.04.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.04.2025 को प्राप्त हुआ । आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :– आवेदिका डॉ दर्शना जैन पति डॉ. हरख जैन पता –मेमन नर्सिंग होम के बाजू शैलेन्द्र नगर रायपुर द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम–नकटी–प.ह.नं.– 77 तह. रायपुर जिला–रायपुर स्थित भूमि खसरा नं. 486/2 रकबा क्रमशः 0.1860 हे. ग्राम नकटी में पूर्व कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की अनुमति चाही गई है। । अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ, **सागौन 05 नग कुल वृक्ष– 04** है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन वन उपज नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)
अनुविभाग................................
जिला ....(छ0ग0)

प्रतिलिपि :–

1/ कलेक्टर जिला रायुपर

2/ वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/ तहसीलदार, तहसील रायुपर को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)
अनुविभाग................................
जिला ....(छ0ग0)

Received
S. Daga